प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों-एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड़, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2,पान की दुकान नं0-01,पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की नीलामी के लिए वित्तीय वर्ष-2026-2027 हेतु कार्यवाही दिनांक 23.05.2026 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में की जायेगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(मौ0 अहमद खान)
अध्यक्ष,नीलामी समिति /
अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट) सहारनपुर।

नियम व शर्तें

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर स्थित विभिन्न सात प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैन्ड़, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष-2026-2027 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. ठेका निर्गत किये जाने के पश्चात, एक सप्ताह के भीतर ठेके की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत जमा किया जाना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि तीन किश्तों में (क्रमश: माह जून, माह सितम्बर तथा माह दिसम्बर की 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। किश्त का भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा
2. बोलीदाता / ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति ठेकाधारक को करनी होगी।
3. बोलीदाता / ठेकेदार को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्ड़रटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि ठेके की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देते समय दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/-(तीस हज़ार) रुपये तथा चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैन्ड़ एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 1,00,000/-(एक लाख) रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की त्रैमासिक आधार पर देय किश्त प्रत्येक तिमाही की 15 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानो पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुन: कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।
20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में ड़िफाल्टर नही है।
21. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन होने एवं किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण जिला जज को उपरोक्त ठेकों को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(प्रबोध कुमार वर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर। (अवकाश पर)

13.5.2026
(संजय कुमार)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-10
सहारनपुर।

(मौ0 अहमद खान)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट) सहारनपुर।

Seen & Approved

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
13.5.2026

कार्यवृत्त नीलामी

आज दिनांक 08.05.2026 को सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में न्यायापीठ सहारनपुर स्थित विभिन्न सातों प्रतिष्ठानों (कैन्टीन-नाश्ता चाय आदि, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ) की वित्तीय वर्ष-2026-2027 हेतु नीलामी के सम्बन्ध में नीलामी समिति की बैठक हुई। जिसमें श्री संजय कुमार, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष संख्या-10 सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा सदस्य नीलामी समिति/कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये। श्री प्रबोध कुमार वर्मा, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर अवकाश पर होने के कारण उपस्थित नही आये।

न्यायपीठ में स्थित उपरोक्त सात प्रतिष्ठानो (चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान न0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ) को वित्तीय वर्ष-2026-2027 हेतु सीलबंद टैन्ड़र के माध्यम से उठाये जाने हेतु दिनांक 07.05.2026 तक सीलबंद टैन्ड़र आमंत्रित किये गये थे,जो नीलामी समिति द्वारा आज दिनांक 08.05.2026 को टैन्ड़रकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जाने थे। उक्त के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तिथियों (दिनांक 29.04.2026 को अमर चिंगारी, दिनांक 03.05.2026 को पश्चिमांचल, दिनांक 03.05.2026 को दैनिक सूरज केसरी तथा दिनांक 07.05.2026 को अमर उजाला)में प्रकाशन कराया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ कराया गया परन्तु व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार कराये जाने के पश्चात भी केवल दो ही प्रतिष्ठानों साईकिल स्टैन्ड एवं फोटोस्टेट दुकान नं0-2 हेतु टैन्ड़र प्राप्त हुए।

उपरोक्त प्राप्त टैन्डर टैन्ड़रकर्ताओं की उपस्थिति में खोले गये। न्यायपीठ सहारनपुर स्थित प्रतिष्ठान साईकिल स्टैन्ड़ हेतु श्री राकेश चौहान पुत्र बाबुराम चौधरी द्वारा अंकन 8,00,000/-रुपये, श्री राजेन्द्र पुत्र मलखान सिंह द्वारा अंकन 10,00,000/ रुपये, श्री सिंकदर पुत्र रागिब द्वारा अंकन 10,00,000/-रुपये तथा श्री प्रदीप चौधरी पुत्र बाबूराम चौधरी द्वारा अधिकतम अंकन 11,00,000/-रुपये का टैन्ड़र प्राप्त हुआ। फोटोस्टेट दुकान नं0-2 के लिए श्री राजेन्द्र पुत्र मलखान सिंह द्वारा अंकन 2,00,000/-रुपये तथा श्री रामकुमार पुत्र श्री जय सिंह द्वारा अधिकतम अंकन 2,20,000/-रुपये का टैन्ड़र प्राप्त हुआ। उक्त दोनों प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिष्ठान हेतु ठेका टैन्ड़र के माध्यम से उठाये जाने से सम्बन्धित कोई सीलबंद टैन्ड़र आज नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त नही हुआ।

न्यायपीठ सहारनपुर स्थित प्रतिष्ठान साईकिल स्टैन्ड़ व फोटोस्टेट दुकान नं0-2 हेतु प्राप्त टैन्ड़र की धनराशि निर्धारित मानक से कम होने व अन्य प्रतिष्ठानों हेतु टैन्ड़र प्राप्त न होने के कारण नीलामी समिति द्वारा सर्वसम्मत राय से माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-5581/Admin-(B-I) Section Dated 01.09.2025 के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रतिष्ठानों की नीलामी पुनःनियमित प्रक्रिया (खुली बोली) द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया तथा नियम व शर्ते निर्धारित की गयीं।

केन्द्रीय नाज़िर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन कराने के उपरान्त एक बार पुनः नियमित प्रक्रिया के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा तथा उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना एक राष्ट्रीय व तीन स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल, एन.आई.सी. पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड़ करायें। नीलामी की अग्रिम तिथि ए.ड़ी.आर. भवन में दिनांक 23.05.2026 समय सांय 04:30 बजे नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा) सदस्य नीलामी समिति/ कोर्ट मैनेजर सहारनपुर।	(प्रबोध कुमार वर्मा) सदस्य नीलामी समिति/ अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर। (अवकाश पर)	8.5.2026 (संजय कुमार) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-10 सहारनपुर।	(मौ0 अहमद खान) अध्यक्ष नीलामी समिति/ अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) सहारनपुर।

Seen.

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
13.5.2026